न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय/15/2006

1. मृतक गुला पुत्र श्री खीवां के कायम मुकाम :–
   भीकसिंह पुत्र गुला
2. मृतक सोना पुत्र परबतसिंह के कायम मुकाम :–
   2/1 चूनसिंह पुत्र स्व. सोना उर्फ सोहनसिंहजी
   2/2 अर्जुनसिंह पुत्र स्व. सोना उर्फ सोहनसिंहजी
   जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण धनला, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)

.... अपीलार्थी

ब ना म

1. बदरी पुत्र हरीया
2. चम्पा पुत्र धनाजी
3. दला पुत्र पनाजी
4. मनीया पुत्र पनाजी
5. भैरू पुत्र किस्तुरजी जातिगण ढोली, निवासीगण धनला, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)
6. भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)

..... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स।
2. श्री मांगीलालजी प्रजापत व श्री नारायणलाल कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
4. शेष रेस्पोडेण्ट बाद तामिल अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 27/01/2021

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राज. टिनेंसी एक्ट के तहत् अपीलाण्ट्स द्वारा पेश की गई। जिसे दर्ज कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षो की बहस सुनी गई।

2. अपीलाण्ट्स अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा एक वाद खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम धनला के पुराने खसरा संख्या 679 व 678 कुल रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 1023 व 1022 कुल रकबा 2.8326 हैक्टेयर भूमि मय बेरा कृषि भूमि सैटलमेन्ट पूर्व से अपीलाण्ट्स के पूर्वजो की जागिरी एवं खुदकाश्त की रही है, जिसका ठीकाने का पट्टा संवत् 2005 व 2006 में अपीलाण्ट्स के नाम जारी सुदा है, जिसमें गला का आधा हिस्सा व सोना का आधा हिस्सा दर्ज है। रेस्पोडेण्ट्स के पूर्वज हरीया, किस्तुर व धनीया का नाम वक्त सैटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से दर्ज कर दिया। जबकि कभी भी इनका कब्जा व काश्त उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर नहीं रहा है। संवत् 2012 की गिरदावरी में भी उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट्स की खुदकाश्त की दर्ज है। तत्पश्चात् खसरा गिरदावरी में कब्जेदार का अंकन नहीं होता है। खसरा गिरदावरी संवत् 2029 से 2033 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कब्जेदार का अंकन किया गया था। जिस पर उक्त वादग्रस्त भूमि की खसरा गिरदावरी में बतौर काबिज काश्तकार के रूप में अपीलाण्ट्स का नाम ही दर्ज है। उपरोक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेण्ट्स की ओरसे जवाबदावा पेश किया गया था और उपरोक्त समस्त वादपत्र में वर्णित अभिवचनो को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर समस्त रेस्पोडेण्ट्स ने स्वीकार किया था। भूमिधारी द्वारा भी वादपत्र के पद संख्या एक को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था, शेष अभिवचनो को केवल इन्कार किया गया था, स्पष्ट रूप से कोई अभिवचन दर्ज नहीं किये थे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स ने अपने वाद को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य में बेरा फर्दवार प्रदर्श–1, राशि बेरेवार प्रदर्श–2, कुओ का विवरण प्रदर्श–3, कुओ का विवरण प्रदर्श–4, खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी संवत् 2012 प्रदर्श–6, जमाबंदी संवत् 2029–33 पेश किये थे। मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह भीकसिंह, सोहनसिंह,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कानसिंह, तुलसीदास के बयान करवाये गये थे। समस्त दस्तावेजात से यह साबित था कि उपरोक्त बेरा पिपलिया खसरा संख्या 978 जिसे अपीलाण्ट गुला के पूर्वजो द्वारा खुदवाना उक्त दस्तावेजात में दर्ज है। यह भी दर्ज है कि उक्त बेरा पिपलिया अपीलाण्ट्स का खुद–काश्त है तथा संवत् 2012 के काफी पूर्व से खुदा हुआ है। खसरा गिरदावरी अनुसार संवत् 2012 में उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट्स की खुदकाश्त की होना साबित है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वाद को केवलमात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि ठिकाने के पट्टे में वादीगण के पिता गला डोलीदार दर्ज है। जागीर उन्मोलन के समय यह भूमि राज्य सरकार को भोक्ता के रूप में दर्ज कर उपकृषक काश्तकार को खातेदार दर्ज कर दिया। यह कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर हुई है। साथ ही लगातार खसरा गिरदावरी पेश नही होना बताकर वाद को खारिज कर दिया। जबकि पर्याप्त दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध थे। खसरा गिरदावरी राजस्थान टीनेंसी एक्ट लागु होने के समय संवत् 2012 में अपीलाण्ट्स बतौर खातेदार खुद–काश्त के रूप में अंकन है। इस संबंध में अपीलाण्ट्स अधिवक्ता द्वारा 1990 आरआरडी पेज 629, 1992 आरआरडी पेज 114, 1999 आरआरसी पेज 331, 2001 आरआरडी पेज 611, 2002 आरआरडी पेज 14, 570, 2018(2) आरआरटी पेज 1164, 2015 आरआरडी पेज 294 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो अनुसार संवत् 2012 और उससे पूर्व काबिज व्यक्ति धारा 15 राज. टीनेंसी एक्ट अनुसार स्वतः ही खातेदारी पाने के अधिकारी रहते है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो किसी भी रूप से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

3. रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण के बाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है। उपरोक्त भूमि कभी भी अपीलाण्ट्स की खुद–काश्त की अथवा खातेदारी की दर्ज नहीं रही है। केवल

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। साथ ही रेस्पोडेण्ट को विश्वास में रखकर जवाबदावे पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवाये थे कि उनको भूमि का कब्जा दिया जा रहा है। एस.सी. की जमीन पर स्वर्ण को सहमति के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। धारा 42 राज. टिनेंसी एक्ट के तहत् एस.सी. की जमीन की खातेदारी स्वर्ण अथवा एस.टी. के नाम नहीं की जा सकती है। इसलिए अपील मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. रेस्पोडेण्ट भूमिधारी की ओर से सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि के खातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति है और अपीलाण्ट्स स्वर्ण जाति के है, इसलिए विधिक रूप से खातेदारी अधिकार अपीलाण्ट्स को नहीं दिये जा सकते है। वाद विधिक रूप से पोषणीय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। उपरोक्त अपील भी विधिक रूप से पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

5. दोनों पक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्व प्रथम न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि क्या उपरोक्त वाद से एस.सी. की जमीन नोन–एस.सी. को अंतरित तो नहीं हो रही है एवं वादी व प्रतिवादी द्वारा मिलावट कर तो वाद पेश नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में वादपत्र में वर्णित अभिवचनो, अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम धनला के गत खसरा 679, 678 कुआ मय जाव कुल रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा स्थित थी, जिसमें से खसरा संख्या 678 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकीन बेरा पिपलिया के रूप में दर्ज है और खसरा संख्या 679 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि बैरा पिपलिया के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में 4 दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 4 जो कि राजस्व रिकॉर्ड के रूप में संधारित दस्तावेज है जो राजस्व विभाग द्वारा संधारित किये जाते है और भूमिधारी रेस्पोडेण्ट द्वारा स्वीकृत दस्तावेज है, जिस अनुसार उपरोक्त बेरा पिपलिया अपीलाण्ट्स वादीगण का उपरोक्त दस्तावेजात में उपरोक्त कुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बेरा पिपलिया को अपीलाण्ट गुला के पूर्वजो द्वारा खुदवाना, बंधवाना प्रमाणित माना है तथा अपीलाण्ट गुला का ही खुदकाश्त होना अंकित किया गया है तथा उक्त बेरे द्वारा ही सिंचित की जाने वाली भूमि खसरा संख्या 679 दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में जब कुआ अपीलाण्ट गुला व उसके पूर्वजो का होना राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित माना है तो उससे आबपास होने वाली भूमि खसरा संख्या 679 स्वतः ही वादीगण अपीलाण्ट्स के पूर्वजो के कब्जे–काश्त की होना प्रमाणित मानी जाएगी। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में खसरा गिरदावरी संवत् 2012 पेश हुई है जिसमें उपरोक्त भूमि गुला वल्द खीवा पुरोहित की खुदकाश्त होना प्रमाणित है। इसके पश्चात् कब्जेदार के अंकन की खसरा गिरदावरी संवत् 2029 से 2033 में उक्त भूमि जिसके नये खसरा संख्या 1022 व 1023 बने है, उस पर कब्जा व काश्त उक्त सोनसिंह पुत्र परतींगजी का होना अंकित है। उक्त दस्तावेज के साथ ही मौखिक साक्ष्य भी पेश हुई है, जिसमें भी कब्जा काश्त एक मात्र रूप से संवत् 2012 के काफी पूर्व से ही वादीगण अपीलाण्ट्स का होना बताया गया है, उपरोक्त गवाह से कोई जिरह भूमिधारी द्वारा नहीं की गई है। दोनों वादीगण एवं स्वतंत्र साक्षी कानसिंह राजपुत व तुलसीदास वैष्णव के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय में हुए है। सभी गवाहान से कोई जिरह नहींकी गईहै, इसलिए उनके बयानो को इस स्तर पर नहीं माने जाने का कोई कारण एवं आधार नहीं है। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1990 आरआरडी पेज 629, 1992 आरआरडी पेज 114, 1999 आरआरसी पेज 331, 2001 आरआरडी पेज 611, 2002 आरआरडी पेज 14, 570, 2018(2) आरआरटी पेज 1164, 2015 आरआरडी पेज 294 का ससम्मान अवलोकन किया गया और इनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति संवत् 2012 के पूर्व से भूमि पर काबिज है और काश्त कर रहा है तो वह खातेदारी प्राप्त करने का धारा 15 अनुसार अधिकारी है, साथ ही खसरा गिरदावरी संवत् 2012 में कोई व्यक्ति किसी भूमि पर काबिज है और उसमें काश्त अंकित है तो वह व्यक्ति भी खातेदारी प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

होना माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो की रोशनी में तथा राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजात जो कि भूमिधारी और राजस्व विभाग द्वारा संधारित किये जाते है, में वर्णित इन्द्राज अनुसार उपरोक्त वाद काबिज डिक्री है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो दस्तावेजात का विधि अनुसार विवेचन किया है न ही साक्ष्य का अनुशीलन किया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार होने योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

लिहाजा अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है तथा अपीलाण्ट्स का वाद डिक्री किया जाता है एवं अपीलाण्ट्स को ग्राम धनला के गत खसरा संख्या 679 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 678 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकीन बेरा, जिनके वर्तमान खसरा संख्या 1023 रकबा 2.7947 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1022 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, साथ ही अपीलाण्ट्स के पक्ष में एवं रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट्स के कब्जे–काश्त, उपयोग, उपभोग में रेस्पोडेण्ट्स किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, दखल उत्पन्न नहीं करें, न ही उक्त कृत्य अपने नौकर, मजदूर, परिजनो से करावें। माफिक निर्णय व डिक्री रेस्पोडेण्ट संख्या छः राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर निर्णय की पालना करें। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें

निर्णय आज दिनांक 27/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑर्डर 41, रूल्स जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceedure Coade, Appendix "4"9)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय/15/2006

1. मृतक गुला पुत्र श्री खीवां के कायम मुकाम :–
   भीकसिंह पुत्र गुला
2. मृतक सोना पुत्र परबतसिंह के कायम मुकाम :–
   2/1 चूनसिंह पुत्र स्व. सोना उर्फ सोहनसिंहजी
   2/2 अर्जुनसिंह पुत्र स्व. सोना उर्फ सोहनसिंहजी
   जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण धनला, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)

.... अपीलार्थी

ब ना म

1. बदरी पुत्र हरीया
2. चम्पा पुत्र धनाजी
3. दला पुत्र पनाजी
4. मनीया पुत्र पनाजी
5. भैरू पुत्र किस्तुरजी जातिगण ढोली, निवासीगण धनला, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)
6. भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील संख्या 15/2006 बनाराजगी निर्णय व डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी सोजत दिनांक 21.12.2005, राजस्व वाद संख्या 8/2002 दावा बाबत् 88, 91, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट

यह अपील बतारीख 27/01/2021 को रूबरू हमारे व बहाजिर श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थीगण, रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो की ओर से श्री मांगीलालजी प्रजापत व श्री नारायणलाल कुमावत अधिवक्ता एवं रेस्पोडेण्ट संख्या सात की ओर से सरकारी पैरोकार समायत होकर हुक्म हुआ कि अपीलाण्ट्स को ग्राम धनला के गत खसरा संख्या 679 रकबा 17 बीघा 6

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बिस्वा व खसरा संख्या 678 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकीन बेरा, जिनके वर्तमान खसरा संख्या 1023 रकबा 2.7947 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1022 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, साथ ही अपीलाण्ट्स के पक्ष में एवं रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट्स के कब्जे–काश्त, उपयोग, उपभोग में रेस्पोडेण्ट्स किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, दखल उत्पन्न नहीं करें, न ही उक्त कृत्य अपने नौकर, मजदूर, परिजनो से करावें। माफिक निर्णय व डिक्री रेस्पोडेण्ट संख्या छः राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर निर्णय की पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर, मुहर अदालत आज तारीख 27/01/2021 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राज.)